छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेशपत्रिका

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 740/2014

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. सीता बाई साहू और अन्य।

22.05.2020 अपीलार्थी की ओर से श्री अमृतो दास अधिवक्ता सह श्री पी. आचार्य के साथ उपस्थित।

उत्तरदाता क्र. 01 से 05/दावेदारों की ओर से श्री सुधीर कुमार बाजपेयी अधिवक्ता ।

उत्तरदाता क्र. 6 और 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि नोटिस की तामिल की गयी थी ।

1. बीमाकर्ता द्वारा यह विविध अपील कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (इसके बाद '1923 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 30 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर, श्रम न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. 05/ W.C.Act/2010 में पारित पंचाट दिनांक 09–05–2024 की वैधता को प्रश्नगत किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यह अपील अधिनियम, 1923 की धारा 30 की उप–धारा (1) के तहत अनिवार्य रूप से की जाने वाली जमा रसीद की प्रति जमा किए बिना प्रस्तुत की गयी है । यह तथ्य अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा कार्यालयीन टिप्पणी दिनांक 16–07–2014 के माध्यम से इस विरोध के साथ इंगित किया गया था कि यह अपील अधिनियम, 1923 की धारा 30 की उप–धारा (1) के अनुपालन के बिना प्रस्तुत किया गया है ।

3. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमृत दास ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बादामी देवी और अन्य (2014) एसीजे 1527 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के तीसरे परंतुक के तहत क्षतिपूर्ति की जमा राशि का प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता 'नियोक्ता' द्वारा दायर अपील पर लागू होती है और चूंकि अपीलकर्ता (बीमाकर्ता) 'नियोक्ता' की परिभाषा के भीतर नहीं आता है, इसलिए बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने या अपील के ज्ञापन के साथ क्षतिपूर्ति की जमा राशि का प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए, उत्तरदाता क्र. 1 से 5/दावेदारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार बाजपेयी ने यह तर्क दिया है कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के तीसरे परंतुक में उपयोग किए गए 'नियोक्ता' शब्द का अर्थ 'नियोक्ता' या किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना है जो अपनी ओर से या अपने हित के संरक्षण के लिए पंचाट को चुनौती देता है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 30 स्पष्ट रूप से बीमाकर्ता द्वारा अपील का प्रावधान नहीं करती है और पंचाट के खिलाफ ऐसी अपील बीमाकर्ता द्वारा दायर की जाती है क्योंकि उन्हें उनके बीच बीमा अनुबंध के कारण नियोजक के स्थान पर रखा जाता है। इसलिए, बीमा कंपनी 1923 के अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के तीसरे परंतुक में अनिवार्य रूप से अपील के ज्ञापन के साथ क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने के दायित्व से बच नहीं सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त प्रावधान के तीसरे परंतुक में उपयोग किए गए 'नियोक्ता' शब्द की कोई भी अन्य व्याख्या विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल करने के लिए बाध्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के उपरोक्त तर्क के आधार पर, निर्धारण के लिए जो प्रश्न आता है वह यह होगा कि–

> "क्या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 की उप–धारा (1) का तीसरा परंतुक जिसमें नियोजक को कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए आयुक्त से क्षतिपूर्ति की राशि के जमा प्रमाण पत्र के साथ अपील के ज्ञापन की आवश्यकता होती है, बीमाकर्ता द्वारा की गई अपील पर भी लागू होता है? "

6. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को स्वीकार करने से पहले, अधिनियम की धारा 30 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:–

30. अपीलें–(1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थातः–

> (क) प्रतिकर के रुप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अननुज्ञात करने वाला आदेश;

(कक) धारा 4 क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला ;

(ख) अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इंकार करने वाला आदेश;

(ग) मृत [कर्मचारी] के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अनुज्ञात करने वाला ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अननुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

(ङ) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेश;

परंतु जब तक कि अपील में सारवान विधि–प्रश्न अंतर्वलित न हो, ओर खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम [दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे] से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने आयुक्त के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई भी अपील नहीं होगी:

[परंतु यह यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खण्ड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी ।]

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल साठ दिन का होगा ।

(3) [परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)] की धारा 5 के उपबंध इस धारा के अधीन की अपीलों को लागू होंगे ।

7. इस अपील में पूरा विवाद 1923 के अधिनियम की धारा 30 (1) के तीसरे परंतुक के आसपास केंद्रित है। जो नियोजक द्वारा अपील के ज्ञापन के साथ क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने का प्रमाण पत्र दाखिल करने को अनिवार्य बनाता है। सवाल यह है कि क्या तीसरे परंतुक में प्रयुक्त 'नियोजक' शब्द को शाब्दिक अर्थ दिया

जाना चाहिए जो केवल नियोजक के कहने पर दायर अपील पर इसकी प्रयोज्यता को सीमित करता है, या 'बीमाकर्ता' शब्द को शामिल करने के लिए एक व्यापक और उदार व्याख्या दी जानी चाहिए, जो वर्ष 1923 में तीसरे परंतुक को जोड़कर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

8. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम एक लाभकारी विधान है, जिसके तहत कर्मचारी के हितों की रक्षा की जाती है। धारा 30 की उप–धारा (1) में तीसरा परंतुक जोड़ने का उद्देश्य नियोजक द्वारा दायर अपील को खारिज करने की स्थिति में कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए आयुक्त द्वारा पारित पंचाट का अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि कर्मचारी को वर्षों तक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता न हो। अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए 'नियोजक' शब्द की शाब्दिक व्याख्या एक विषम स्थिति का कारण बनने के लिए बाध्य है, जहां हालांकि नियोजक को पंचाट के खिलाफ अपील दायर करने से पहले क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने और अपील के ज्ञापन के साथ निक्षिप्त की गयी राशि का प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बीमाकर्ता, यदि उसी पंचापट के खिलाफ अपील दायर करने का विकल्प चुनता है, तो वह बीमाकर्ता और नियोजक के बीच बीमा की संविदा के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति की राशि जमा किए बिना और निक्षिप्त प्रमाणपत्र के बिना अपील दायर कर सकता है। 1923 के अधिनियम की धारा 30 (1) में तीसरा परंतुक जोड़ते समय यह विधायन का इरादा कभी नहीं हो सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस मामले की दूसरे दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 30 बीमाकर्ता को अपील करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देती है। वस्तुतः नियोजक को दिए गए अपील के अधिकार का लाभ बीमाकर्ता द्वारा उठाया जाता है, जो बीमाकर्ता और नियोजक के बीच बीमा अनुबंध के कारण पंचाट से व्यथित महसूस करता है। फिर बीमाकर्ता नियोजक की तुलना में बेहतर स्थिति में कैसे हो सकता है? यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त अधिकार का लाभ बीमाकर्ता द्वारा केवल उन प्रतिबंधों के तहत उठाया जा सकता है जो नियोजक पर लगाए गए हैं।

10. उक्त प्रावधान की वास्तविक व्याख्या का पता लगाने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों को यहां नोट किया जाना चाहिए।

11. न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी बनाम एम. जयराम नाइक और एक अन्य

1982 ए. सी. जे. 3 में प्रकाशित मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह विचार दृष्टिकोण अपनाया है कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 (1) का तीसरा परंतुक बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील पर भी लागू होगा। पैरा 7 में न्यायालय ने कहा है कि–

> "7.....लेकिन फिर बीमाकर्ता केवल बीमाकृत, नियोजक के स्थान पर कदम रख रहा है, और बचाव पक्ष बीमाकर्ता नहीं है, बल्कि बीमाकृत के नाम पर और उसके स्थान पर है। ऐसे आधारों पर की गई अपील, यदि सफल होती है, तो नियोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली करने के कर्मचारी के अधिकार को भी खतरे में डाल देगा।बीमाकर्ता इस तरह की अपील में जो चाहता है वह यह है कि बीमाकृत को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं पाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्राथमिक अनुतोष जिसकी मांग की गयी है वह पहला उल्लेखित अनुतोष है और अन्य अनुतोष उस प्रारंभिक अनुतोष के स्वीकृत होने के परिणामस्वरुप प्राप्त होंगे । इसलिए, इस तरह की अपील बीमाकर्ता द्वारा नियोजक के लिए और उसकी ओर से और उसके स्थान पर की जाती है, हालांकि बीमाकर्ता का उद्देश्य अपने स्वयं के दायित्व को दोषमुक्त करना है। बीमाकृत स्वयं क्या नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 30 के तीसरे परंतुक की आवश्यकताओं का पालन किए बिना अपील दायर करना, उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिनियम की धारा 30 का तीसरा प्रावधान ऐसी अपीलों को नियंत्रित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसी प्रकार का दृष्टिकोण कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम काशिमसब और अन्य **(1993 ए. सी. जे. 946)** में प्रकाशित मामले में लिया गया है जिसमें पैरा 20 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः––

> "20.तीसरे परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'नियोजक' शब्द के निर्वचन का उल्लेख करते हुए, हमारा विचार है कि हमें अधिनियम के दायरे और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए उक्त परंतुक का निर्वचन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें उस परंतुक का निर्वचन न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से करना चाहिए न कि उसे पराजित करने

के लिए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ए. ए. हजा मुनिउद्दीन बनाम भारतीय रेलवे, 1993 ए. सी. जे. 235 (एस. सी.) के मामले में निर्णय के पैरा 5 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:--

> "एक ऐसा दृष्टिकोण जो न्याय के कारण को आगे बढ़ाता है, उसे उस दृष्टिकोण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उसे पराजित करता है। जब कोई गरीब व्यक्ति अपने साथ किए गए गलत काम के लिए क्षतिपूर्ति के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाता है, तो न्यायाधिकरण केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास शुल्क का भुगतान करने का साधन नहीं है। न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधिकरण को न्याय करने के लिए संहिता के आदेश 33 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, अधिनियम की धारा 30 (1) के परंतुक 3 का निर्वचन करने के लिए, हमें शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, हमें परंतुक के उद्देश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह मानना चाहिए कि बीमाकर्ता को डिक्री के तहत एक निर्णय देनदार के रूप में अभिनिर्धारित किया जा सकता है, कि एक मामले में जहां बीमाकर्ता द्वारा निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाती है और कर्मचारी के पक्ष में क्षतिपूर्ति का पंचाट यह तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसके साथ आयुक्त द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण पत्र न हो कि अपीलकर्ता ने उसके साथ उस आदेश के तहत देय राशि जमा कर दी है जिसके खिलाफ अपील की गई है, या अन्यथा, परंतुक का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। वर्तमान मामले में, चूंकि बीमाकर्ता ने आयुक्त द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने की अपील के साथ प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिए अपील विचारणीय नहीं है। श्री ओ. महेश के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि संसद बीमाकर्ता को अधिनियम की धारा 30 (1) के तीसरे परंतुक की आवश्यकता का पालन करने से छूट देने का इरादा रखती है।

13. पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेणु देवी और अन्य* **(1997 ए. सी. जे. 808)** के मामले में केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर दिये गये उत्तर के दृष्टिगत यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 30 (1) का तीसरा परंतुक, बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर समान रूप से लागू होगा और बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील जिसमें आयुक्त द्वारा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र के बिना अपील प्रस्तुत किया गया था, पोषणीय नहीं था ।

14. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने *गंगिरेड्डी वेंकटेश्वर राव और ए. एन. आर. बनाम.प्रभागीय प्रबंधक, न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य* [1999 एसीजे 262] और पैरा 7 में कहा है कि––

> "7.इसलिए, यह स्पष्ट है कि बीमाकर्ता नियोजक के स्थान पर कदम रखता है जब वह आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद करता है जो उसे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश देता है। वह इसे नियोजक के रूप में पसंद करेगा क्योंकि वह नियोजक के स्थान पर आता है और परिणामस्वरूप बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 30 (1) के 3 वें प्रावधान से आकर्षित होता है। उस परंतुक की भाषा थोड़ी भ्रमित करने वाली है क्योंकि एक स्थान पर 'नियोजक' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है और दूसरे स्थान पर 'अपीलकर्ता' का उपयोग किया जाता है–यह कहने से शुरू होता है "बशर्ते कि खंड (ए) के तहत किसी नियोजक द्वारा कोई अपील नहीं होगी" और यह यह कहते हुए समाप्त होता है ". आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि अपीलकर्ता ने उसके साथ अपील किए गए आदेश के तहत देय राशि जमा की है" (जोर दिया गया)। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि बीमाकर्ता का दायित्व बीमित व्यक्ति, यानी नियोजक के साथ सह–व्यापक और सह–समाप्त है और बीमाकर्ता उन आधारों को उठाकर क्षतिपूर्ति देने के आदेश पर सवाल नहीं उठा सकता है जो क्षतिपूर्ति की मात्रा के संबंध में नियोजक के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह सवाल कि क्या बीमाकर्ता एक अपील को प्राथमिकता देकर एक कर्मचारी को दिए गए क्षतिपूर्ति की मात्रा पर सवाल उठा सकता है, एक और सवाल है, जिसका हम इन मामलों में जवाब नहीं दे रहे हैं। यह देखते हुए कि अपील किए गए आदेश के तहत देय पूरी राशि को जमा करने का इरादा यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देखना है कि आदेश के फल को अस्वीकार या विलंबित नहीं किया जाता है और आश्वस्त किया जाता है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिनियम स्वयं एक लाभकारी कानून है, हमारा विचार है कि बीमाकर्ता को इस तरह के मामलों में बीमित व्यक्ति, यानी नियोजक की तुलना में अलग स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि 'नियोजक' और 'अपीलार्थी' का उपयोग तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यह तीसरे परंतुक की भाषा का उल्लंघन नहीं कर रहा है; दूसरी ओर, यह व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार तीसरे परंतुक को लागू करने में विधायिका के उद्देश्य और इरादे को आगे बढ़ाने के लिए व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा उपयोग की गई दोहरी अभिव्यक्तियों, यानी एक स्थान पर 'नियोजक' और दूसरे स्थान पर 'अपीलकर्ता' द्वारा बनाई गई असमानता को समान करता है। हम इस दृष्टिकोण में मैसूर के उच्च न्यायालयों की खंड पीठ कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के फैसले का समर्थन करते हैं, "।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उड़ीसा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नेशनल एंश्योरेंस कंपनी *लिमिटेड बनाम नरेंद्र सामल और अन्य* [1993 ए. सी. जे. 1095] ने केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का अनुसरण किया है और अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि बीमाकर्ता नियोजक के स्थान पर कदम रखता है, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील पर धारा 30 (1) का तीसरा प्रावधान लागू होता है। इस संदर्भ में, पैरा 7 में यह अवलोकित किया गया है कि:––

"7..... धारा 30, विशेष रूप से इसके तीसरे परंतुक को पढ़कर, सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि यदि अपील ऐसी है कि इसके द्वारा श्रमिक को दिए गए क्षतिपूर्ति के अधिकार को खतरे में डाल दिया जाता है, तो कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति की राशि जमा करके सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ऐसी जमा राशि अपील की पोषणीयता के लिए आवश्यक होगा, यदि दूसरी ओर, श्रमिक के क्षतिपूर्ति के अधिकार पर अपील में कोई सवाल ही नहीं आता है, तो कर्मचारी को क्षतिपूर्ति मिलने का कोई खतरा नहीं है और इस प्रकार किसी को भी क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने के लिए ऐसी अपील करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त सिद्धांत के आलोक में परीक्षण किए जाने पर, इस बात में संदेह

की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि वर्तमान अपील जो स्वीकृत रूप से धारा 30 (1) (ए) के भीतर आती है, आयुक्त द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के कामगार के अधिकार को खतरे में डालती है। इसलिए, यह मेरा सुविचारित विचार है कि धारा 30 का तीसरा परंतुक ऐसी अपील पर लागू होता है और यदि उसमें प्रावधान संतुष्ट नहीं होता है तो अपील के ज्ञापन को ठीक से प्रस्तुत किया गया नहीं कहा जा सकता है और अपील को विधिवत स्थापित नहीं कहा जा सकता है।

16. न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कर्तार सिंह और अन्य **(2001 ए. सी. जे. 1651)** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए, पैरा 13 में अवधारित किया है कि:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13.उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह पाया जा सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस प्रश्न के संबंध में अलग–अलग विचार रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय या इस न्यायालय के किसी भी फैसले का किसी भी पक्ष द्वारा मेरे सामने उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 30 को छोड़कर, अपील दायर करने के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं है। बीमा कंपनी केवल इसलिए अपील दायर कर सकती है क्योंकि वह बीमित व्यक्ति, यानी नियोजक के स्थान पर कदम रखती है। इसलिए, इसके पास नियोजक की तुलना में बेहतर अधिकार नहीं हो सकते हैं, जब इसके लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। यदि नियोजक को राशि जमा करने का प्रमाण पत्र दाखिल किए बिना अपील दायर करने से रोक दिया जाता है, तो यह कहने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि प्रतिबंध बीमा कंपनी पर लागू नहीं होता है। बेशक, परंतुक में उपयोग किए गए शब्द यह हैं कि नियोजक को प्रमाण पत्र के बिना अपील दायर करने से रोक दिया गया है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर करने के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है और बीमा कंपनी केवल इसलिए अपील दायर करती है क्योंकि वह नियोजक के स्थान पर कदम रखती है, तो निर्बन्धन बीमा कंपनी पर भी लागू होगा।

17. उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, मैं देखता हूं कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 (1) के तीसरे प्रावधान में "नियोजक" शब्द की उदार और व्यापक व्याख्या ली गई है क्योंकि बीमाकर्ता को उनके बीच बीमा अनुबंध के कारण "नियोजक" के स्थान पर कदम रखते हुए पंचाट के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए "नियोजक" के द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर तीसरे परंतुक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील पर समान रूप से लागू होंगे। अर्थात् बीमाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए कि क्षतिपूर्ति की राशि जमा कर दी गयी है, का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए कि क्षतिपूर्ति की राशि जमा की गई है और इस तरह के प्रमाण पत्र के अभाव में, अपील पोषणनीय नहीं होगा ।

18. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दास ने भरोसा किया कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 (1) का तीसरा परंतुक, जो बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर लागू नहीं होता है, मुख्य रूप से इस सादृश्य पर आधारित है कि बीमाकर्ता संबंधित कर्मचारी का नियोजक नहीं है; अधिनियम की धारा 30 (1) के तीसरे परंतुक में मौजूदा शब्द 'नियोजक' के स्थान पर 'नियोजक और बीमाकर्ता' शब्दों का उपयोग करने से विधायिका को कोई भी नहीं रोकता है; और न्यायालयों को एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अपील के अधिकार से संबंधित प्रावधान की व्याख्या नहीं करनी चाहिए जिसे करने का विधायिका का कभी भी आशय नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) उपरोक्त पृष्ठभूमि तथा अधिनियम की धारा 30(1) के तीसरे परंतुक जोड़ने के विधायिका के उदेश्य पर विचार करते हुए पंचाट के अनुपालन तथा बिना किसी प्रक्रियात्मक असुविधा एवं विलंब के क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने में मैं, केरला, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, पटना, पंजाब और हरियाणा तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से पूर्ण रुप से सहमत हूं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 30 (1) का तीसरा परंतुक बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील पर भी लागू होगा ।

(20) परिणामस्वरुप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम 1923 की धारा 30 (1) के तीसरे परंतुक जिसमें नियोजक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाण पत्र कि क्षतिपूर्ति की राशि निक्षिप्त कर दी गई है, पूर्ण रुप बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर

भी लागू होगी और ऐसे प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होगी । इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है तथा कार्यालय द्वारा उठाये गये विरोध को कायम रखा जाता है ।

(21) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को आज से तीन सप्ताह का समय दिया जाता है कि वे अधिनियम 1923 की धारा 30 के उपधारा (1) के उक्त परंतुक के अनुपालन में निक्षिप्त किये गये रकम के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे ।

इस प्रकरण को आगामी आदेश हेतु 15–06–2020 से प्रारंभ होने वाली सप्ताह में नियत करे ।

सही/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**